किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)** नं0 096 सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05 OCT 2021	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट मनोज अग्रवाल पिता रामलाल अग्रवाल निवासी शिव मंदिर के पास पुराना बाजार फतहनगर जिला उदयपुर ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी मुख्य निष्पादन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टेम्पल कमेटी चित्तौड़गढ़ को दिनांक 07.06.2021 को प्रेषित किया। लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने अपील की क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर विचार किया। यह न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय न्यायालय होकर इस न्यायालय को लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। हस्तगत अपील के संबंध में लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है एवं लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से प्रस्तुत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः लोक सूचना अधिकारी श्री सांवलियाजी मंदिर मण्डल मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। प्रतिलिपि संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। (तारा चन्द मीणा)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)

05 OCT 2021